

“संस्थान में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में अनुवाद की भूमिका” पर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला



संस्थान का हिन्दी कक्ष भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए 08 दिसम्बर, 2025 (सोमवार) को “संस्थान में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में अनुवाद की भूमिका” विषय पर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कम्प्यूटर लैब (LHC-502) में किया गया। इस कार्यशाला में संस्थान के नोडल अधिकारियों, स्टाफ सदस्यों एवं प्रशासनिक अधिकारियों सहित ~25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का प्रारम्भ करते हुए डॉ. नीरज चौरसिया, अध्यक्ष (हिन्दी कक्ष) ने प्रो. अरविन्द कुमार नेमा, उप निदेशक (प्रचालन), श्री अतुल व्यास (कुलसचिव), अतिथि वक्ता श्री केवल कृष्ण तथा कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हार्दिक स्वागत किया।

अध्यक्ष, हिन्दी कक्ष ने कार्यशाला के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि संस्थान का हिन्दी कक्ष समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन करता है ताकि संस्थान में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाया जा सके और सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में कार्य करने हेतु सभी को प्रोत्साहित किया जा सके। संस्थान में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में हिन्दी टंकण एवं अनुवाद की प्रमुख भूमिका है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में हिन्दी में कार्य करने के लिए

कई सारे ई-टूल्स एवं सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। इनके प्रयोग से आज हिन्दी में कार्य करना और भी आसान हो गया है। इस कार्यशाला में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में अनुवाद की भूमिका के साथ-साथ कई अन्य ई-टूल्स जैसे भाषिणी, अनुवादिनी, कंठस्थ-राजभाषा अनुवाद टूलस तथा ‘ई-ऑफिस’ में हिन्दी प्रयोग पर जानकारी प्रदान की गयी। आपने अतिथि वक्ता का संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा कि श्री केवल कृष्ण, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), नई दिल्ली से वरिष्ठ तकनीकी निदेशक के पद पर लंबे समय तक कार्यरत रहे। आपको भाषाई मानकीकरण तथा भाषाई तकनीकी के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में आपका विशेष योगदान रहा है।

कुलसचिव ने अपने संबोधन में कहा कि श्री केवल कृष्ण जी का इस क्षेत्र में एक लंबा अनुभव है। आपके समझाने का तरीका बहुत ही सहज है। आज की इस कार्यशाला से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आपने कहा कि कार्यशाला से प्राप्त ज्ञान को अपने कार्यालयीन कार्य में अवश्य प्रयोग में लायें तभी कार्यशालाओं का उद्देश्य सार्थक होगा।

उप निदेशक (प्रचालन) ने अपने संबोधन में कहा कि यह हर्ष का विषय है कि हिन्दी कक्ष निरंतर इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन करता रहता है। निश्चित रूप से ये कार्यशालायें अधिकारियों एवं

कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और संस्थान में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में सहायक होती हैं। वास्तव में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में अनुवाद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपने संस्थान में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन पर बल देते हुए कहा कि यह हमारा प्रशासनिक दायित्व है और इसे हमें निभाना चाहिए।

विभिन्न ई-टूल्स पर व्यापक चर्चा करते हुए कार्यशाला में आमंत्रित वक्ता श्री केवल कृष्ण ने अनुवाद टूलस की जानकारी प्रदान की तथा प्रतिभागियों ने इन टूलस का प्रयोग करके देखा। आपने भारती एवं भाषिणी को लॉग-इन करके लाइव अनुवाद करके दिखाया तथा आपने ई-ऑफिस में भारती के प्रयोग की जानकारी भी साझा की। आपने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विकसित ई-टूलस की जानकारी भी सभी प्रतिभागियों को दी।

डॉ. नीरज चौरसिया ने आशा व्यक्त की कि कार्यशाला में प्राप्त ज्ञान को सभी प्रतिभागी अपने अन्य साथियों के साथ साझा करेंगे तथा इस ज्ञान को अपने दैनिक कार्यालयीन कार्य में प्रयोग में लाकर संस्थान में राजभाषा हिन्दी में कार्य करने में भागीदारी करेंगे।

अन्त में, श्री कुमार सौरभ (सहायक कुलसचिव, हिन्दी कक्ष) ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए कार्यशाला का समापन किया।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम/नियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन के लिए जाँच-बिंदुओं का निर्माण/सुदृढीकरण

राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा-4 के अनुसरण में गठित संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने, राजभाषा विभाग-गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने संबंधी सरकारी आदेशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित जाँच-बिंदुओं को संस्थान में सुदृढ एवं प्रभावी बनाने के लिए आप सभी प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध है कि इन जाँच-बिंदुओं की संबंधित अनुभागों में अनुपालना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	विषय	जाँच बिन्दु/अनुपालना
1.	सामान्य आदेश तथा अन्य कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करना:— राजभाषा अधिनियम 1993 (यथा संशोधित, 1967) की धारा 3 (3) में उल्लिखित सभी दस्तावेज आदि हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किये जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी दस्तावेज पर तब तक हस्ताक्षर न किए जाएं जब तक वह द्विभाषी रूप में प्रस्तुत न किया जाए। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि हिन्दी रूपांतर को अंग्रेजी रूपांतर से पहले/ऊपर रखा गया है। धारा 3 (3) से संबंधित दस्तावेज निम्नलिखित हैं:— सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञापित/टिप्पणियाँ, संविदाएं, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर के फार्म और नोटिस [i. क्रय/विक्रय संबंधी, ii. सिविल/अन्य कार्य संबंधी] संकल्प, नियम, संसद के सदन या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज-पत्र (रिपोर्टों के अलावा) संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट जो अपने से उच्चतर कार्यालयों को भेजना।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
2.	हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना:— पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) की अपेक्षानुसार हिंदी में प्राप्त पत्र अथवा हिंदी में हस्ताक्षर किए गए आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना सुनिश्चित करें।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
3.	‘क’ तथा ‘ख’ क्षेत्र की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र आदि:— प्रेषण अनुभाग जाँच बिंदु होगा जो सरकारी आदेशों के अनुपालन में “क” तथा “ख” क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्रों आदि को प्रेषण के लिए तभी स्वीकार करेगा जब वे हिंदी में होंगे या उनका हिंदी अनुवाद उनके साथ संलग्न होगा।	प्रेषण अनुभाग एवं अन्य सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
4.	रजिस्ट्रारों के शीर्षक द्विभाषी रूप में लिखना:— कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले सभी रजिस्ट्रारों के शीर्षक द्विभाषी रूप में अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जाएंगे जिनमें हिंदी रूपान्तरण को नियमानुसार अंग्रेजी रूपांतर के ऊपर/पहले रखा जाएगा।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
5.	लिफाफों पर पते हिंदी में लिखना:— प्रेषण अनुभाग जाँच बिंदु होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि “क” तथा “ख” क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते नियमानुसार देवानागरी लिपि में लिखे जाएं।	प्रेषण अनुभाग एवं अन्य सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
6.	फाइल कवरों पर विषय द्विभाषी रूप में लिखना:— कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली सभी फाइलों के कवरों पर विषय नियमानुसार द्विभाषी रूप में लिखे जाएंगे जिनमें हिंदी रूपान्तर को अंग्रेजी रूपांतर के ऊपर/पहले रखा जाएगा।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
7.	यूनिकोड समर्थित सॉफ्टवेयर युक्त कंप्यूटरों की खरीद:— यह भी हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन कंप्यूटरों में यूनिकोड सॉफ्टवेयर नहीं है, उनके लिए इसे किसी निजी फर्म से न खरीदा जाए, वरन राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in अथवा bhashaindia.com से निःशुल्क डाउनलोड किया जाए। शंका के	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी

	समाधान अथवा अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, चतुर्थ तल, बी विंग, एनडीसीसी-II बिल्डिंग, जयसिंह रोड़, नई दिल्ली-110001 से संपर्क किया जाए।	
8.	फार्मों, कोडों, मैअनुल, प्रक्रिया साहित्य और सरकारी राजपत्र की सामग्री का द्विभाषी प्रकाशन:- सरकारी आदेशों के अनुपालन में भारत के राजपत्र में छपने वाली अधिसूचनाएं, नियम, संकल्प एवं कोड, मैअनुल, फार्म तथा प्रक्रिया साहित्य आदि हर हाल में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराए जाएं। इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाय कि जो सामग्री दोनों भाषाओं में नहीं भेजी जाती उसे मुद्रण निदेशालय/सरकारी प्रेस संबंधित विभाग को वापस कर देता है। गैर-सरकारी प्रेसों में छपाई जाने वाली सामग्री के संबंध में भी इसी तरह के जाँच बिंदु स्थापित किया जाएं।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
9.	रबड़ की मोहरें, नाम पट्ट, सूचना पट्ट आदि द्विभाषी रूप में बनाना:- रबड़ की मोहरे, नाम पट्ट, सूचना पट्ट आदि बनवाने वाले अनुभाग के प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 में उल्लिखित उक्त सामग्री हिंदी और अंग्रेजी-द्विभाषी रूप में (और यथावश्यक क्षेत्रीय भाषा में भी) तैयार करना सुनिश्चित करे।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
10.	सेवा पंजिकाओं (Service Books) में प्रविष्टियां हिंदी में करना:- जिस अनुभाग में कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टियां करने का काम होता है, उसका प्रभारी अधिकारी, सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टि या हस्ताक्षर करते समय, "क" तथा "ख" क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में ही किया जाना सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार की प्रविष्टियां "ग" क्षेत्र में भी यथा सम्भव हिंदी में की जाएंगी।	स्थापना अनुभाग
11.	विज्ञापनों का द्विभाषी प्रकाशन:- समाचार पत्रों आदि में दिए जाने वाले विज्ञापनों को जारी करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 30.6.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20012/01/2017-रा.भा. (नीति) में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसरण में सभी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ हिंदी भाषा में भी अनिवार्यतः छपवाए जाएं।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
12.	वेबसाइट का द्विभाषीकरण:- वेबसाइट का काम देखने वाला अधिकारी/अनुभाग यह सुनिश्चित करेगा कि वेबसाइट के मामले में सरकारी दिशानिर्देशों का सम्यक अनुपालन हो और वेबसाइट के निर्माण/अद्यतनीकरण करने वाली कम्पनी के साथ किए जाने वाले करार में- (i) वेबसाइट को द्विभाषी रूप में तैयार करने (ii) अंग्रेजी सामग्री अपलोड करते समय हिंदी सामग्री को भी अपलोड करने और (iii) अंग्रेजी रूपान्तरण को अद्यतन बनाते समय हिंदी रूपान्तरण को भी अद्यतन बनाने संबंधी उपबंध शामिल हों। यदि किसी कारणवश ऐसा संभव न हो तो संबंधित अधिकारी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यालय की वेबसाइट द्विभाषी रूप में अर्थात् अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में हों।	कंप्यूटर सेवा केन्द्र
13.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड द्विभाषी रूप में जारी करना:- कार्यालय में नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड तैयार करने वाले अनुभाग/प्रभाग के प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड का हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में और यथा संभव अपनी क्षेत्रीय भाषा में तैयार करना सुनिश्चित करें।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी
14.	हिन्दी पुस्तकों की खरीद:- राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्य के अनुरूप जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़ करके कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेन-ड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर 50% व्यय किया जाना अनिवार्य है जिसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय के पुस्तकालय प्रभारी की होगी।	पुस्तकालय प्रभारी
15.	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी की जिम्मेदारी तय करना:- पत्र या प्रलेख पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जो पत्र/परिपत्र/प्रलेख आदि राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार केवल हिंदी में या हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी/तैयार किये जाने हों, वे उसी रूप में जारी किए जाएं।	सभी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग/प्रशासनिक अधिकारी

यह डिजिटल क्रांति पहले से अलग कैसे है

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) पिछले तीन साल से खबरों और दिमागों में छाई हुई है— एक तरफ उम्मीदों की रोशनी है तो दूसरी तरफ चिंताओं का कुहासा। डिजिटल तकनीक की दुनिया 1980 की कंप्यूटर क्रांति, 1995 की इंटरनेट क्रांति और 2008 की स्मार्टफोन क्रांति के बाद आजकल, शायद उस सबसे बड़ी क्रांति से गुजर रही है जिसके केंद्र में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।

कंप्यूटरों के आने पर लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा था, डर अपेक्षाकृत कम। लोग धड़धड़ कंप्यूटर सीख रहे थे, अच्छे भविष्य की उम्मीदों के साथ अपने बच्चों को इंस्टीट्यूट भेज रहे थे। कुछ दफ्तरों में हड़तालें भी हो रही थीं, यह सोचकर कि कंप्यूटर कर्मचारियों की नौकरियों को प्रभावित करेगा लेकिन कुल मिलाकर युवाओं का उत्साह बुजुर्गों की चिंताओं पर भारी था। इंटरनेट और स्मार्टफोन क्रांति के समय चिंता जैसी कोई विशेष बात नहीं थी। दुनिया सिमट रही थी, अवसर खुल रहे थे और संवाद की जबरदस्त ताकत हमारे हाथों में आ गई थी। हां, छोटे दुकानदारों के काम धंधे पर ई-कॉमर्स कंपनियों के असर, निजी प्राइवैसी, साइबर सुरक्षा, लत लग जाने आदि की चिंताएं थीं, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जो वैश्विक स्तर पर परेशान कर रही हो। अलबत्ता, इस बार की क्रांति पिछली डिजिटल क्रांतियों से अलग है। पिछली क्रांतियों ने नौकरियों और कारोबारों को ध्वस्त करने का डर नहीं दिखाया जैसे एआइ दिखा रही है। उन क्रांतियों ने भी दुनिया की कई परिपाटियों और तौर तरीकों को बदला लेकिन मौजूदा क्रांति तो कायाकल्प करने की काबिलियत रखती है। दर्जनों आइटी, बीपीओ, सेल्स, डेटा एंट्री, मार्केटिंग, कंटेंट निर्माण, मनोरंजन, दूरसंचार और क्रिएटिव कंपनियों में लाखों कर्मचारियों की छंटनी हुई है। इन सबसे अलग और बेपरवाह, एआइ कंपनियों के बीच नए से नए मॉडल लाने की गलाकाट होड़ मची हुई है—न सिर्फ एक दूसरे को पीछे छोड़ने की, बल्कि इंसान को पीछे छोड़ देने की। तकनीकी दुनिया के दो दिग्गज—ओपन एआइ के सीईओ सैम ऑल्टमैन और एक्स एआइ के सीईओ एलन मस्क का मानना है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (एजीआइ) कुछ ही महीने

दूर है। यह एआइ का सबसे उन्नत संस्करण है जो लगभग हर मायने में इंसान की बराबरी करने में सक्षम होगा। इधर गूगल ने 'जेमिनी 3' लॉन्च किया है, जिसे देखकर लोग भौचक्के रह गए हैं। ऐसा लगता है कि यह एजीआइ के आगमन की आहट है। नई रिपोर्टों के अनुसार, जनरेटिव एआइ इंसान के काम का 60–70% हिस्सा खुद कर सकता है।

एआइ से अनगिनत नए अवसर भी खुलेंगे और वे ऐसे होंगे, जिन्हें फिलहाल हम नहीं जानते। कोई नहीं जानता कि वे अवसर कब सामने आएंगे। इस बीच जिन लोगों की नौकरियां और रोजगार प्रभावित हो रहे हैं वे इन संभावनाओं के खुलने तक कैसे अपनी आर्थिक सुरक्षा को बचाए रखेंगे, यह यक्ष प्रश्न सामने है।

फर्क यह है कि पहले मशीनें हाथ का काम हथियाती थीं जबकि अब मशीनें दिमाग का काम भी हथिया रही हैं— वह काम जिसके लिए लोग वर्षों पढ़ाई करते हैं। मैंने कई सर्वेक्षणों पर नजर डाली। आधे से ज्यादा युवा मानते हैं कि आने वाले वर्षों में एआइ उनकी नौकरी को प्रभावित करेगी। दुनिया की सिर्फ एक-तिहाई आबादी को भरोसा है कि एआइ कंपनियां समाज के हित को अपने मुनाफे से ऊपर रखेंगी। माना कि अंततः इंसान, जो कि एआइ का निर्माता है, निर्णायक भूमिका में रहेगा। अब तक हुई सभी औद्योगिक और डिजिटल क्रांतियों में हमने देखा कि जब भी कोई क्रांतिकारी तकनीक आई तो शुरू में उसने लोगों के लिए तकलीफ पैदा की। लेकिन कुछ समय बाद उसी ने इंसानी विकास में हाथ बंटाया। मानव को उन तकनीकों को अपने औजार में तब्दील करते हुए देखा गया है, जिन्होंने शुरू में उसे डरा दिया था।

यही बात देर-सबेर एआइ पर भी लागू होगी, ऐसा मानने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। एआइ से अनगिनत नए अवसर भी खुलेंगे और वे ऐसे होंगे, जिन्हें फिलहाल हम नहीं जानते। कोई नहीं जानता कि वे अवसर कब सामने आएंगे। इस बीच जिन लोगों की नौकरियां और रोजगार प्रभावित हो रहे हैं वे इन संभावनाओं के खुलने तक कैसे अपनी आर्थिक सुरक्षा को बचाए रखेंगे, यह यक्ष प्रश्न सामने है। कुछ नई नौकरियां आने लगी हैं

लेकिन वे बेहद विशेषज्ञता वाली हैं। दूसरी जगहों पर फिलहाल नई नौकरियों के सृजन की गति धीमी है। हम एक संक्रमण काल — से गुजर रहे हैं। इन सबसे अलग एक नई चिंता आर्थिक दुनिया में खड़ी हो रही है। एआइ के विकास में सैकड़ों अरब डॉलर की रकम झोंक दी गई है। बड़ी तकनीकी कंपनियों का शेयर और बाजार मूल्य आसमान पर है। एआइ के विकास पर इन कंपनियों का विशेषाधिकार है क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है, जो सबके बस की बात नहीं, लेकिन इन चुनिंदा कंपनियों को छोड़कर बाकी कंपनियां मंदी के प्रभाव से जूझ रही हैं। एआइ के आर्थिक लाभ कुछ को मिल रहे हैं जबकि नुकसान कई को उठाना पड़ रहा है। अमरीकी कंपनियों के शेयर मूल्यों के सूचकांक एस एंड पी 500 की सिर्फ सात कंपनियों (मैग्निफिशेंट सेवन) का बाजार मूल्य कुल 500 शीर्ष अमरीकी कंपनियों के कुल बाजार मूल्य का 35 से 37 फीसदी हो गया है। ताजा खबर यह है कि इन कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले डिविडेंड का औसत 1.15 फीसदी सालाना पर आ गिरा है। दूसरी ओर एआइ कंपनियां एक हफ्ते में कई दर्जन मॉडल या उनके अपग्रेड लेकर आ रही हैं। अगर एआइ में किया जा रहा प्रचंड निवेश गलत साबित होता है तो बाजार पर इसका क्या असर होगा, वह डर इन दिनों दुनिया भर के निवेशकों को परेशान कर रहा है।

और भी बहुत सारी चिंताएं हैं, जिनमें एआइ से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, पारदर्शिता, प्राइवैसी, साइबर सुरक्षा, जवाबदेही, पक्षपात, कॉपीराइट विवाद, गलत सूचनाओं का प्रसार आदि शामिल हैं। फिलहाल एक विरोधाभासी नजारा है — एक तरफ चिंताओं का दौर है तो दूसरी तरफ एआइ कंपनियां तरक्की के चरम पर हैं। आम निवेशक और यूजर ज्यादा नहीं जानता कि भीतर हो क्या रहा है। अगर एआइ ने मानवीय हितों को आगे नहीं बढ़ाया तो यह क्रांति चंद लोगों को तो अमीर बनाएगी, पर मानवता को एक तूफान के बीच लाकर छोड़ देगी।

लेखक — बालेन्दु शर्मा दाधीच
(लेखक वरिष्ठ सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं)